एचएसएससी ने सीएम को दिया प्रपोजल, डीजीपी को 7 दिन में बनाना होगा ड्राफ्ट

सीईटी के बाद पुलिस के 6000 पदों पर लागू होंगे नए नियम, नहीं मिलेंगे उच्च शिक्षा के अंक

भास्कर न्यूज़ | राजधानी हरियाणा

हरियाणा पुलिस की कॉन्स्टेबल भर्ती में अब उच्च शिक्षा के अंकों का लाभ नहीं मिल सकेगा। इस संबंध में एचएसएससी ने सीएम को प्रपोजल भेजा है। सूत्रों के मुताबिक, सीएम मनोहर लाल ने पुलिस महानिदेशक को 7 दिन में ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नए नियम सीईटी के बाद 6 हजार पदों पर होने वाली पुलिस भर्ती पर लागू होंगे। अब तक स्नातक के 3, स्नातकोत्तर के 4 अंक मिलते थे। हालांकि, एनसीसी के 3 अंक पहले ही तरह मिलते रहेंगे। मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी से बात की गई तो उन्होंने प्रपोजल देने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि प्रपोजल सीएम को दिया है, मंजूरी मिलने के बाद नए नियमों को लागू किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ सीएम ने इस संदर्भ में बैठक भी की है। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग के लिए जल्द ही 5000 पुरुष कांस्टेबल और 1000 महिला कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी, नए नियम इस भर्ती में लागू करने की तैयारी चल रही है। यह भर्ती सीईटी के बाद होगी।

अधिक पढ़े-लिखे युवा अंकों के लाभ से पा लेते थे नौकरी

भोपाल सिंह खदरी का कहना है कि कॉन्स्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा को अधिक पढ़े लिखे युवा आसानी से पास कर लेते हैं। उन्हें उच्च शिक्षा के अंकों का लाभ भी मिलता है, जिससे वे नौकरी पा लेते हैं। इससे 12वीं पास युवाओं को नुकसान होता है। उन्होंने सरकार को यह प्रपोजल तैयार कर दिया है।